सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
2015-2016

गोपालन निदेशालय
राजस्थान

सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन
2015-2016

राजस्थान सरकार

फरवरी
2016

गोपालन निदेशालय
राजस्थान

राजस्थान सरकार

गोपालन निदेशालय

स्थापनाः–

वित्तीय वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा में पृथक से गो सेवा निदेशालय की स्थापना दिनांक 22.07.2013 को की गई।

मंत्रिमण्डल सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 13.03.2014 द्वारा "गोपालन विभाग" का गठन किया गया जिसमे गो सेवा निदेशालय का प्रशासनिक विभाग पशुपालन के स्थान पर "गोपालन विभाग" हो गया हैं। गो सेवा निदेशालय राजस्थान का नाम परिवर्तित कर दिनांक 19.12.2014 से "**निदेशालय गोपालन**" राजस्थान किया गया।

1. संगठनात्मक ढांचा :–

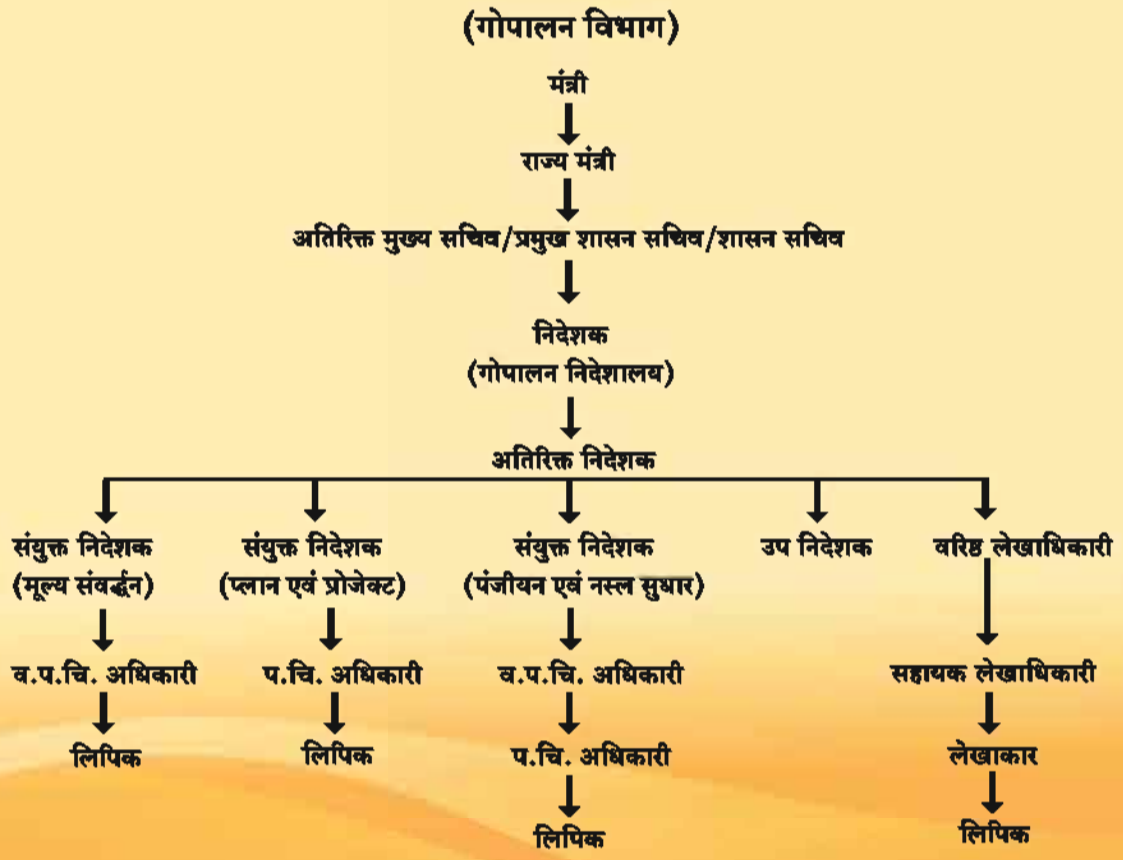

2. स्वीकृत – कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.सं.	स्वीकृत पद	संख्या	कार्यरत	रिक्त पद
1.	निदेशक	1	–	1
2.	अतिरिक्त निदेशक	1	–	1
3.	संयुक्त निदेशक	3	3	–
4.	उप निदेशक	1	–	1
5.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	3	2	1
6.	पशु चिकित्सा अधिकारी	2	2	–
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	–	1
8.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	–
9.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II	1	1	–
10.	कनिष्ठ लेखाकार	4	–	4
11.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	–	1
12.	निजी सहायक	1	–	1
13.	कार्यालय सहायक	1	–	1
14.	लिपिक ग्रेड–I	5	2	3
15.	लिपिक ग्रेड– II	6	–	6
16.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	–
17.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	–
18.	पशुधन सहायक	1	1	–
19.	वाहन चालक	2	–	2
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	–	9
	कुल	46	14	32

नोट :– निदेशक, गोपालन का अतिरिक्त कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर, अतिरिक्त निदेशक, गोपालन का अतिरिक्त कार्य संयुक्त निदेशक, प्लान एवं प्रोजेक्ट, निदेशालय गोपालन, जयपुर एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी का अतिरिक्त कार्य कोषपाल, राजस्थान गौ सेवा आयोग, जयपुर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध वर्ष 2015–16 में प्रगति एवं विगत तीन वर्ष से तुलना :– दिनांक 13.03.2014 द्वारा गोपालन विभाग का गठन किया गया, तत्पश्चात् दिनांक 19.12.2014 को गो सेवा निदेशालय राजस्थान का नाम परिवर्तित कर गोपालन निदेशालय राजस्थान किया गया, प्रमुख कार्यो के विरूद्ध विगत तीन वर्ष से तुलनात्मक विवरण वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न प्रकार है।

3.(i) आय–व्यय की स्थिति :– निदेशालय के कार्य एवं योजनाओं के सफल संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्राप्त आय–व्यय का लेखा निम्न प्रकार है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 :–

(राशि लाख)

बजट मद 2403–00–001– (01)–[14]	आय व्ययक अनुमान 2013–14			वास्तविक व्यय की गई राशि		
	आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	के.प्र. यो.	आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	के.प्र. यो.
01 संवेतन		43.00			43.45	
03 यात्रा व्यय		0.94			0.27	
04 चिकित्सा व्यय		0.50			0.10	
05 कार्यालय व्यय		4.00			3.85	
06 वाहनों का क्रय		0.01			–	
07 कार्यालय वाहनों का संचालन		0.01			–	
12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)		0.01			–	
28 विविध व्यय		0.01			–	
36 वाहनों का किराया		1.00			0.61	
62 कम्प्यूटराइजेशन		0.52			0.30	
कुल योग		**50.00**			**48.58**	

3.(ii) वित्तीय वर्ष 2014–15 :–

(राशि लाखों में)

योजना सं. 2108 बजट मद 2403–00–001– (01)–[14]	आय–व्ययक अनुमान 2014–15			दिसम्बर 2014 तक व्यय राशि		
	आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	के.प्र.यो.
01 संवेतन		165.18			118.41	
03 यात्रा व्यय		2.00			0.06	
04 चिकित्सा व्यय		2.00			0.14	
05 कार्यालय व्यय		10.00			5.69	
06 वाहनों का क्रय		0.01			–	
07 कार्यालय वाहनों का संचालन		0.01			–	
11 विज्ञापन विक्रय प्रचार प्रसार व्यय		1.00			0.01	
12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)		0.01			–	
16 लघु निर्माण कार्य		0.01			–	
22 सामग्री और प्रदाय		2.00			–	
28 विविध व्यय		0.01			–	
29 प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय		9.35			9.32	
30 उत्सव और प्रदर्शन		2.00			2.00	
36 वाहनों का किराया		6.00			2.97	
37 वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं		0.19			–	
38 लेखन सामग्री व्यय		1.00			0.42	
39 मुद्रण व्यय		2.00			0.02	
41 संविदा व्यय		0.01			–	

62 कम्प्यूटराइजेशन		6.00			5.77	
योग स्कीम नं. 2108		**208.78**			**144.81**	
Scheme No. 2146 गौशालाओं को अनुदान 2403–00–106–(02)–[01] 2403–00–789–(02)–[01] 2403–00–796–(03)–[01]		 5864.61 1814.51 1451.45			–	
योग स्कीम नं. 2146		**9130.57**			–	
Scheme No. 2262 निदेशालय गोपालन भवन का निर्माण 4059–80–051–(53)–[00]		700.00			–	
महायोग		10039.35			144.81	

3.(iii) आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2015–16 (व्यय दिसम्बर 2015 तक)

(राशि लाखों में)

योजना सं. 2108 बजट मद 2403–00–102– (20)–[01]	आय–व्ययक अनुमान 2015–16			दिसम्बर 2015 तक व्यय राशि		
	आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	के.प्र.यो.
01 संवेतन		300.00			107.56	
03 यात्रा व्यय		2.00			0.15	
04 चिकित्सा व्यय		2.00			1.13	
05 कार्यालय व्यय		10.63			2.31	
06 वाहनों का क्रय		7.00			–	
07 कार्यालय वाहनों का संचालन		0.50			–	
11 विज्ञापन विक्रय प्रचार प्रसार व्यय		1.00			–	
12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)		0.01			–	
16 लघु निर्माण कार्य		0.01			–	

22 सामग्री और प्रदाय		2.00			—	
28 विविध व्यय		0.01			—	
29 प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय		10.00			9.99	
30 उत्सव और प्रदर्शन		5.00			4.79	
36 वाहनों का किराया		4.20			3.32	
37 वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं		0.19			—	
38 लेखन सामग्री व्यय		1.00			0.57	
39 मुद्रण व्यय		1.00			—	
41 संविदा व्यय		1.00			0.89	
62 कम्प्यूटराइजेशन		1.00			0.34	
योग स्कीम नं. 2108		**348.55**			**131.05**	
Scheme No. 2146 गौशालाओं को अनुदान 2403–00–102–(02)–[01] 2403–00–789–(02)–[01] 2403–00–796–(03)–[01]		 0.01 0.01 0.01			—	
योग स्कीम नं. 2146		**0.03**			—	
Scheme No. 2262 निदेशालय गोपालन भवन का निर्माण 4059–80–051–(54)–[00]		415.77			—	
Scheme No. 1002 गौशालाओं को अनुदान 2403–00–102–(20)–[02]		**23.01**			—	
Scheme No. 2273 वध से बचाये गौवंश को सहायता 2403–00–102–(20)–[04]		**588.00**			**4.35**	
महायोग		**1375.36**			**135.40**	

3. (iv) विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्यों के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना

Physical Progress

क्र. सं.	Schemes/programmes	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	31.12.15 तक
1.	एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट।	715	406	950	843
2.	छः दिवसीय सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम।	250	124	250	234
3.	जिले की एक उत्कृष्ट गौशाला को पुरस्कार एवं प्रशस्ति प्रत्र वितरण।	10	10	22	शून्य
4.	एक दिवसीय सम्मेलन व प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम।	1	1	4	शून्य
5.	वध से बचाये गौवंश को सहायता	–	–	4669	108
6.	सांड पंजीकरण	–	–	1187	शून्य
7.	नकारा सांड/बछडा बधियाकरण	–	–	35000	शून्य

4.1 वर्ष 2015–16 में विशेष पहल :–

4.1.1 बजट घोषणा 2015–16 में वध से बचाये गोवंश की सहायतार्थ रू. 588.00 लाख का बजट आवंटित किया किया जाकर बड़े गोवंश के लिये रू. 32/– एवं छोटे गोवंश के लिये रू. 16/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अभिरक्षा की अवधि अथवा अधिकतम एक वर्ष जो भी कम हो की सहायता प्रदेश में प्रथम बार प्रारम्भ की गई है।

4.1.2 प्रजनन सांड पंजीकरण एवं नकारा सांड/बछडा बधियाकरण योजना :–

गौवंश में नस्ल सुधार एवं प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की वृद्धि हेतु नकारा सांड़ों/बछड़ों

का बधियाकरण तथा वर्गीकृत नस्ल के प्रजनन सांड़ों को चिन्हित कर नियमित संक्रमित रोगों की जांच, फोलोअप एवं अंतः प्रजनन रोकने की व्यवस्था हेतु पंजीकृत गौशालाओं, गौ सदनों, गौ पुनर्वास केन्द्र तथा बछड़ा पालन पशुपालन के द्वार (गोपालक) योजना में संधारित प्रजनन सांड़ों का पंजीकरण कार्यक्रम राजस्थान कृषि विकास योजनान्तर्गत किया जा रहा है। गोपालकों/संस्थाओं के प्रजनन सांड़ों के पंजीकरण के लिए रू. 240/– प्रति सांड एवं श्रमिक व व्यवस्था आदि बधियाकरण हेतु सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राशि रू. 150 प्रति सांड की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

4.1.3 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) के अर्न्तगत निम्न प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने के लिये तैयार किये गये :–

i. पंजीकृत गौशालाओं में शक्ति चलित कुट्टी मशीन का वितरण :–

राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनान्तर्गत पंजीकृत गोशालाों में शक्ति चलित कुट्टी मशीन वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1000 कुट्टी मशीन की एक योजना भारत सरकार को राशि रूपये 462.50 लाख की भिजवाई गई है। जिसमें 60% राशि अनुदान भारत सरकार द्वारा एवं 40% राशि लाभार्थी गोशाला द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है।

ii. पंजीकृत गोशालाओं में चारा उत्पादन कार्य :–

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अर्न्तगत प्रदेश की 19 पंजीकृत गोशालाओं में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 280 हेक्टेयर असिंचित/वेस्ट लैंड भूमि पर चारा उत्पादन के

कार्य किये जाने हेतु योजना भारत सरकार को भिजवाने हेतु राशि रूपये 182.00 लाख की तैयार की गई है। जिसमें 60% राशि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनान्तर्गत एवं 40% राशि लाभार्थी पंजीकृत गोशाला द्वारा वहन की जावेगी।

4.1.4 निदेशालय गोपालन नवीन भवन निर्माण :–

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निदेशालय गोपालन के नवीन भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

4.1.5 गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना :–

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत गौशाला/गौसदनों में टिकाउ प्रवृतियों की परिसम्पत्तियों/सुविधाओं के सृजन हेतु गौ आवास, पक्का फर्श, नाली निर्माण एवं गौमूत्र टेंक निर्माण (गौशाला परिसर), नंदीशाला आवास निर्माण, चारा भण्डार गृह, चारदीवारी निर्माण, स्वच्छ पेयजल हेतु खेली निर्माण, बायोगैस संयंत्र, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, नेडेप कम्पोस्ट निर्माण, अजौला पूरक आहार हेतु निर्माण कार्यों को सम्मिलित कराया गया है।

गौशाला/गौसदनों के लिए किसी एक ट्रस्ट/गैर सरकारी संस्था के लिये एक या एक से अधिक कार्यों के लिये किसी भी स्थिति में 10.00 लाख रूपये तक की सीमा से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत नहीं किये जायेंगे, गौशाला/गोसदनों द्वारा स्वीकृत राशि का निर्धारित 30% जन सहयोग की पूर्ण राशि एक मुश्त स्वीकृति से पूर्व संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद् में जमा करानी होगी।

कार्यों की स्वीकृति :– गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनानतर्गत पंजीकृत कार्यों की स्वीकृति के लिए वरियता का आधार पंचायत समितिवार प्राप्त प्रस्तावों में से ही रखा जायेगा न कि जिले में प्राप्त प्रस्तावों की वरीयता के आधार पर किया जावेगा।

कार्यों का क्रियान्वयन :– कार्य का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं/राजकीय विभागों द्वारा करवाया जायेगा। कार्यकारी संस्था द्वारा दानदाता/जनसहयोगकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को सक्रिय रूप से साथ जोड़कर कार्य करवाया जायेगा।

4.1.6 बायोगैस योजना– दिशा–निर्देश :– योजना के तहत संयंत्र लागत का 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा 40 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। अनुदान की राशि 2 घनमीटर क्षमता वाले संयंत्र के लिये 16 हजार रूपये एवं 3 घनमीटर के लिये 20 हजार रूपये अधिकतम देय होगी। संस्था, गौशाला व अन्य व्यवसायों के लिए 3 घनमीटर क्षमता वाले संयंत्र के लिए 20 हजार रूपये तथा यदि 3 से अधिक घनमीटर का संयंत्र लगाते है तो 4 हजार रूपये प्रति घनमीटर के हिसाब से 52000 रूपये अधिकतम अनुदान देय होगा। अनुदान की राशि 2 किश्तों में लाभार्थी को सीधे उसके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। अनुदान राशि की प्रथम किश्त कुल अनुदान की 60 प्रतिशत होगी जो कि संयंत्र में डोम निर्माण उपरान्त दी जायेगी तथा शेष 40 प्रतिशत राशि संयंत्र के प्रारम्भ होने पर देय होगी।

बायोगैस प्लांट की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन :– बायोगैस प्लांट की स्वीकृति व क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी जिला स्तर पर जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) होगी।

4.2 वर्ष 2015–16 में प्रमुख उपलब्धियां :–

4.2.1 गोशालाओं हेतु एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम :–

श्री पुष्कर आदि गौशाला पुष्कर, श्री बालाजी गौशाला बीटन मेडतासिटी नागौर, श्री मुरली मनोहर गौशाला बीकानेर, श्री राजलदेसर गौशाला राजलदेसर चूरू, श्री गौशाला नोहर हनुमानगढ़, श्री गौसंवर्धन समिति नरसिंहपुरा बिरानी तहसील पदमपुरा गंगानगर, राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा जयपुर, श्री गायत्री परिवार गौशाला एवं अनुसंधान कोटा, आदर्शन गोपालन एवं संरक्षण केन्द्र रावचा तहसील नाथद्वारा उदयपुर की उत्कृष्ट गौशालाओं में भौतिक लक्ष्य 950 के विपरीत 843 गौशाला प्रबन्धकों/प्रगतिशील गोपालकों को एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम से नवीनतम जानकारियों के सम्बन्ध में लाभान्वित करना।

4.2.2 छः दिवसीय सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

छः दिवसीय सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान पशुधन प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली, जयपुर में आयोजित कर भौतिक लक्ष्य 250 के विपरीत 234 गौशाला प्रबन्धकों को आने जाने का किराया, अल्पाहार, लंच एवं डिनर, चाय ठहरने की व्यवस्था प्रशिक्षण विषय सामग्री, निशुल्क उपलब्ध करवाई जाकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4.2.3 जिले की सर्वश्रेष्ठ गोशालाओं को राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 2016 को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरण कार्यक्रम :–

22 जिले (संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली,

हनुमानगढ़, चूरू, जालौर, जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुनझुनूं, बाडमेर, भीलवाडा, अजमेर, सिरोही, अलवर, चित्तौडगढ़, झालावाड, सवाई माधापुर, कोटा एवं टोंक) की एक सर्वश्रेष्ठ गौशाला को रू. 15,000/– (अक्षरे रू. पन्द्रह हजार) का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति–पत्र राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 2016 को वितरण कर सम्मानित किया गया।

4.2.4 एक दिवसीय सम्मेलन एवं सहभागियों की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम :–

प्रदेश के पंजीकृत गौशाला प्रबन्धकों/व्यवस्थापकों, प्रगतिशील गोपालकों, पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं पंचगव्य विशेषज्ञों (आयुर्वेदिक चिकित्सक) का एक दिवसीय सम्मेलन एवं सहभागियों की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम अध्यक्ष, श्री रामकृष्ण गोपालन प्राणी सेवा समिति शिवगंज जिला सिरोही, संयुक्त निदेशक, राजस्थान पशुधन प्रबन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर, कुल सचिव राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, अध्यक्ष श्री गायत्री परिवार एवं अनुसंधान केन्द्र रावतभाटा रोड कोटा में आयोजित किये जा रहे है।

4.2.5 वध से बचाये गये गौवंश की सहायतार्थ अनुदान :– बजट घोषणा 2015–16 में वध से बचाये गोवंश की सहायतार्थ रू. 588.00 लाख का बजट आवंटित किया किया जाकर बड़े गोवंश के लिये रू. 32/– एवं छोटे गोवंश के लिये रू. 16/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अभिरक्षा की अवधि अथवा अधिकतम एक वर्ष जो भी कम हो की सहायता प्रदेश में प्रथम बार प्रारम्भ की गई है।

4.2.6 गोशालाओं का पंजीकरण :– राजस्थान गोशाला अधिनियम 1960 के अन्तर्गत 106 नवीन गोशालाओं का पंजीकरण किया गया।

5. सार संक्षेप :–

गोशाला प्रबन्धकों एवं गोपालकों को नवीनतम वैज्ञानिक विधि से देशी नस्ल के संवर्धन, संरक्षण, प्रबन्धन, जैविक खाद एवं जैविक खेती सम्बन्धी प्रशिक्षण, गोउत्पादों का विपणन, अक्षय उर्जा संरक्षण का विकास एवं विस्तार आदि कार्यों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने हेतु गोपालन निदेशालय की प्राथमिकता है।

राजस्थान गो सेवा आयोग, जयपुर

गोवंशीय पशुओं की समस्त प्रजातियों के वध प्रतिषेध हेतु विधि के समुचित क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने और ऐसे पशुओं की नस्लों के संरक्षण, सुधार, उन्नयन एवं गोपालकों के जीवन स्तर के उत्थान हेतु आवश्यक अवसंरचना सृजित करने, गोवंशीय पशुओं द्वारा जैव उत्पादों के वैज्ञानिक उपयोगों के साथ–साथ बायो गैस के घरेलू उपयोग को सम्मिलित करते हुए कृषि कार्यकलापों में जैविक खाद का अधिकाधिक उपयोग करने, गोवंशीय पशुओं के आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों व आवश्यक सुविधाओं के साथ गोपालक कॉलोनियों की स्थापना के माध्यम से भी गोपालन को संगठित करने में समन्वय और सहायता करने, चारा बैंको और उनसे आनुवांशिक विषयों सहित चारागाह विकास के लिये राज्य स्तरीय राजस्थान गो सेवा आयोग की स्थापना राजस्थान गो सेवा अधिनियम, 1995 के द्वारा 23 मई, 1995 को की गयी।

वित्तीय वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा में पृथक से गो सेवा निदेशालय की स्थापना दिनांक 22.07.2013 को की गई।

मंत्रिमण्डल सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 13.03.2014 द्वारा "गोपालन विभाग" का गठन किया गया जिसमे गो सेवा निदेशालय का प्रशासनिक विभाग पशुपालन के स्थान पर "गोपालन विभाग" हो गया हैं। गो सेवा निदेशालय राजस्थान का नाम परिवर्तित कर दिनांक 19.12.2014 से "**निदेशालय गोपालन**" राजस्थान किया गया।

चूंकि निदेशालय गोपालन तथा राजस्थान गो सेवा आयोग के उद्देश्य एक समान है। इसी तरह निदेशालय गोपालन एवं राजस्थान गो सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले कृत्य/दायित्व भी एक जैसे ही है। अतः राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 35) जो कि राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 20.10.2015 को प्रकाशित हो चुका है द्वारा राजस्थान गो सेवा आयोग अधिनियम, 1995 का निःरसन किया जा चुका है।

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन : 0141-2751417